कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, लखीसराय

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक– ....999..../

प्रेषक : – प्रेम रंजन
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
लखीसराय

सेवा में,

प्रधानाध्यापक / संचालक
गोविन्द भविष्य भारती शिक्षा सेवा सदन स्कूल
जिला – लखीसराय।

लखीसराय, दिनांक– 26 / 07 / 2018

विषय :– **प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के अवधि विस्तार के संबंध में।**
प्रसंग :– **निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पटना का पत्रांक–880 दिनांक–10.07.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक–10.07.2018 को जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–संयोजिका. निजी विद्यालय प्रस्वीकृति /निबंधन समिति की अध्यक्षता में हुई बैठक में निजी विद्यालयों के अवधि विस्तार से संबंधित निर्णय लिया गया। उपरोक्त लिये गये निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय **गोविन्द भविष्य भारती, शिक्षा सेवा सदन स्कूल** प्रस्वीकृति कोड **LKR007** की प्रस्वीकृति की अवधि दिनांक– **25.07.2018 से 24.07.2021** तक सशर्त्त विस्तारित की जाती है। विद्यालय के संचालन एवं प्रस्वीकृति से संबंधित सभी शर्ते / नियम पूर्ववत रहेंगे यथा :–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगा।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक–01) तथा बिहार राजय मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका – 3 में उद्वत बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी। प्रतिपूर्त्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/ विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण–पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न् कार्य सुनिश्चित किए जाएगें :–

क– किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ख– किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

ग– किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

घ– प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

ड़– अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

च– शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय शर्त्त कार्यरत वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम

योग्यता नहीं धारित करते है, वे 31 मार्च 2019 के उपरांत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त न करने की स्थिति में शिक्षण कार्य हेतु अयोग्य माने जाएगे।

छ– शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

ज– शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण –गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
11. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
13. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय को भजी जाएगी।
14. निदेशक, (प्रा0शि0)/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
15. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
16. उपरोक्त नियम /शर्तों के अतिरिक्त निदेशक, प्रा0शि0, शिक्षा विभाग, पटना / जिला शिक्षा पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा समय –समय पर जारी किये गये दिशा–निदेश व शर्तें का अक्षरशः पालन / लागू करना विद्यालय के प्रधानाध्यापक / संचालक का प्राथमिक कर्त्तव्य होगा। जिसकी अवहेलना करने पर उनके प्रस्वीकृति / निबंधन बिना कोई कारण बताये रद्द तक किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं स0शि0अ0
लखीसराय।